



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर

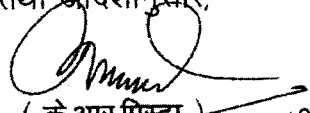
—00—

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2)(ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24(4) के तहत "एन्टी करप्शन ब्यूरो" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर.पिस्टा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 01 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, केन्द्र शासन, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, अन्वेषण परिसर, जी.ई. रोड, रायपुर
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
8. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
9. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर
13. समस्त विभागाध्यक्ष
14. समस्त कलेक्टर
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
16. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
17. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर
18. नियंत्रक क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग